सत्यमेव जयते

# THE JHARKHAND GAZETTE

## EXTRAORDINARY

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**7 VAISHAKH 1948 (S)**

**No. 198**

**RANCHI MONDAY 27th APRIL, 2026**

## DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY

--------

NOTIFICATION

23rd APRIL,20 26

**File No:- 2-Vidhi-41/2006(Part)-1022 /M,--**In exercise of the powers conferred by section 23C (1) and section 23C (2) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Governor of Jharkhand hereby makes the following rules: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules shall be called the Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage)Amendment Rules, 2026.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Rule 2(i)(d) shall be substituted as per following**
   "Competent Officer" Means Additional Director, Mines, Deputy Director, Mines, Deputy Commissioner, District Mining Officer and Assistant Mining Officer.
3. **Rule 2(i)(h) shall be substituted as per following**
   "Department" means Department of Mines & Geology, Government of Jharkhand;
4. **Rule 2(i)(i) shall be substituted as per following**

   "Form" means "Prescribed Forms as notified by the Director, Mines for the purpose of execution of these rules."

**5. Rule 2(i)(l) shall be substituted as per following**

"Mineral" means, minerals of all types (except the atomic minerals in part B of schedule-1 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957), and varieties including precious and semiprecious and un-cut stones and minor minerals as specified in section 3(e) of the mines and minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (central Act, 67 of 1957) as amended in time to time and Jharkhand Minor Mineral Concession Rule, 2004 and as amended time to time for the purpose of these rules;"

**6. Rule 2(i)(p) shall be substituted as per following**

"Transport Challan" means a challan issued by the Lessee/Dealer/permit holder or any other lawful authority for transportation of any mineral raised/stored by a carrier, which is issued to a Mineral Dealer"

**7.Rule 3(d) shall be omitted**

**8. Rule 4 shall be substituted as per following**

"i)Competent Officer or any such authorized officer by competent authority shall approve the application for registration in prescribed form after due verification of application within thirty (30) days. If the application is neither approved nor rejected within thirty (30) days, it shall be forwarded automatically through JIMMS to next higher competent officer as decided by Director, Mines for approval.

In case of District Mining Officer/Any competent officer/Any such officer authorized by the Competent Authority being on leave (Except Casual Leave) then authorization for approval shall be to the next higher competent officer as decided by Director, Mines".

ii) If a person is holding a valid mining lease granted under the Mineral Concession Rules, 1960 or 2016 or JMMC Rule, 2004 or any others rules madeand as amended time to time framed under the MM(DR) Act 1957 or a lessee/deemed lessee under any other provision effective in this behalf shall be exempted to register as a dealer for the same lease and mineral. However,lessee/deemed lessee/permit holder will be treated as deemed dealer for the purpose of these rules.

Provided that in case of lessee being the purchaser of mineral/s from any other valid source for storing or processing shall be registered as dealer under these rules."

**9. After Rule 5(ii), Rule 5(iii) shall be inserted as per following**

**"**Every Dealer shall submit monthly return in the form and time period as prescribed by the Director, Mines, through JIMMS, failing which a penalty at the rate of Rs. 25/- per day, which may extent to maximum Rs. 2500/- shall be recoverable form the concerned dealer.

Provided that there shall be provision for revision of monthly return in JIMMS, on the payment of Rs. 5000/- and in the manner as prescribed by the Director, Mines"

**10. Rule 6(i) shall be substituted as per following**

"A management fee of rupee one per ton (if royalty is paid in terms of tone) or rupee one per twenty-five cubic feet (if royalty is paid in terms of cubic meter or cubic feet) shall be paid by the mining lease holders which will be deposited online through JIMMS portal. However, Department of Mines and Geology, Government of Jharkhand may revise the management fee by the notification.

Provided that in case of mineral purchase from outside of the Jharkhand State management fee shall be paid by the Dealer also."

**11. Rule 7 shall be substituted as per following**

**"**No person other than a dealer or a mining lease holder or a prospecting license holderor a permit holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

**12. Rule 8(iii) shall be substituted as per following**

**"**Any competent officer/any other officer authorized by the competent Authority may at any time suspend the registration for breach of any of the terms and conditions of the Registration. The registration may be cancelled for breach of any of the terms and conditions of registration after giving an opportunity of being heard."

**13. Rule 9(i) shall be substituted as per following**

**"**No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. The Dealer desiring such challan should file an online application for permit through JIMMS portal in prescribed Form duly specifying all the particulars prescribed therein."

**14.In first Rule 9(ii)proviso clauseshall be insertedas per following**

"Provided that in case of purchase of minerals from outside of the country clearance from concerned port/airport/dockyard from the concerned authority shall be uploaded."

**15.Second Rule 9(ii)shall be substituted as Rule 9(iii)as per following**

"On receipt of an application for permit under sub-rule (i), Any competent officer/Any such officer authorized by the Competent Authority shall communicate his approval/rejection of permit application within fifteen (15) days on the JIMMS portal for issuing the transport challan in prescribed form for such period and subject to such terms and conditions as prescribed by him. Any competent officer/Any such officer authorized by the Competent Authority may reject an application to grant permit for issuance of Transport Challan for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant through JIMMS Portal.

If the permit application is neither approved nor rejected within fifteen (15) days, it shall be forwarded automatically through JIMMS to

next higher competent officer as decided by Director, Mines for approval.

In case of District Mining Officer/Any competent officer/Any such officer authorized by the Competent Authority being on leave (Except Casual Leave) then authorization for permit approval shall be to the next higher competent officer as decided by Director, Mines."

**16. In Rule 10(i) proviso clause shall be inserted as per following.**

"Provided that for maintenance of records all dispatches of ores and mineral till midnight shall be accompanied by a transport challan."

**17. After Rule 10(ii)(e)the proviso clause shall be added as per following**

"Provided further that for mineral/ores which don'thave different grades for royalty or in case of coal where grade of seams is pre-decided, the permit approval procedure may be provided separately in JIMMS by the competent authority."

**18. After Rule 10(iv)the exception and proviso clause shall be added as per following**

"Except in cases, where Deputy Commissioner is lease granting/deed execution authority.

Provided that in case of deemed lessee the clearance is required from Directorate of Mines;

Provided further that the locking/unlocking of JIMMS data of new lessees/dealers shall be done by the District Mining Officer/Any competent officer after verification of data from the concerned Deputy Director, Mines in case of Minor Mineral and from Additional Director, Mines through the concerned Deputy Director, Mines in case of Major Mineral."

**19. Rule 10(vi)(a) shall be substituted as per following**

**"**Whenever any person transports the minerals raised from a lease/registered dealer/Permit without any valid permits or challan, it will be treated as a transgression of the conditions of these rules along with all other applicable Act and Rules."

**20. InRule 10(vi)(b)the word "The mining lessee" shall be substituted with word "That person"**

**21. Rule 13shall be substituted as per following**

"1. i) No individual shall, in any area, undertake extraction, removal, or mining operations without a lease, licence, permit, or any other authorization required under these rules.

ii) No person shall transport, or cause to be transported, any mineral without a valid transit challan. Furthermore, minerals shall not be transported in unauthorised, unregistered, or non-commercial vehicles.

2. i) Any Violation of sub rule-1 shall be punishable under Section 21(2) of the Act.

ii) The offences under sub-rule-1(ii), either before or after institution of the prosecution, may be compounded by the complainant officer after taking prior approval from the approving officer as per the tables givenbelow: -

| Sl. No. | Inquiring/Authorized Officer | Complainant/ Compounding Officer | Approving Officer |
|---|---|---|---|
| 1. | Additional Director, Mines | Additional Director, Mines | Director, Mines |
| 2. | Deputy Director, Mines | Deputy Director, Mines | Additional Director, Mines |
| 3. | District Mining Officer | District Mining Officer | Concerned Deputy Director, Mines |
| 4. | Assistant Mining Officer | Assistant Mining Officer | Concerned District Mining Officer/ Deputy Director, Mines/Additional Director, Mines |
| 5. | Sub Divisional Magistrate/Circle Officer/Any other officer authorized by the Collector/Deputy Commissioner | District Mining Officer | Concerned Deputy Director, Mines |
| 6. | Mining Inspector | Assistant Mining Officer or District Mining Officer of District Mining Office/ Office of the Deputy Director, Mines / Office of the Additional Director, Mines, Ranchi | Concerned District Mining Officer/ Deputy Director, Mines/Additional Director, Mines |
| 7. | In-charge Check Gate | District Mining Officer | Concerned Deputy Director, Mines |

and

| Sl. No. | Vehicle/Equipment | Compounding Fee (In Rs.) |
|---|---|---|
| 1. | Tractor and trolley | 50000/- |
| 2. | Matador/Half Truck 407,408 | 100000/- |
| 3. | Full Body Truck/Vehicle(six wheels) | 200000/- |
| 4. | Dumper (Hydraulic six/10 or more wheels) | 300000/- |
| 5. | Crane, Boat, Excavator, Loader, Power Hammer, Compressor, Drilling Machine and other equipment/machine of similar capacity. | 500000/- |

iii) In case of inquiry officer not being the complainant/compounding officer, an inquiry report with all supporting documents such as inspection report, seizure list etc. shall be submitted by the inquiry officer to the complainant/compounding officer. If complainant/compounding officer and approving officer is the same person then prior approval shall be taken from the approving officer of next serial number.

iv) In addition to the compounding fee described in the rule, the value of the mineral, royalty, compensation for environmental damage, and the penalty payable for illegal occupation of land without lawful authority may be recovered from the violator at ten times the royalty amount.

However, in cases involving vehicles/machinery other than those described above, the compounding fee along with the value of the mineral shall not be less than ₹25,000 (Rupees Twenty-Five Thousand).

v) In cases of transportation under a valid challan, if the quantity of mineral loaded in the vehicle exceeds the quantity mentioned in the challan by up to 5% (five percent), the authorized officer may recover the value of the mineral only for the excess quantity, in accordance with Sub-rule 2(iii).

vi) In cases of transportation, the determination of the assessed quantity shall be carried out only at the weighbridgeor by measuring of volume by the competent officer/complainant officer and in case of determination of assessed quantity of the storage location by using total station, theodolite or any other method as decided by the competent Officer/Complainant Officer as deemed fit.

Provided that for determination of assessed quantity of mining/excavation within or outside of the lease boundary, if guideline not issued under relevant mineral concession act or rules, a separate guideline may be issued by the Director, Mines.

vii) Whoever intentionally obstructs the competent Officer or any other officer in performing their duties under these rules, shall be punishable with an imprisonment up to a term of one year or fine which may extend to Rs 25000 or with both.”

**22. Rule 14(i) shall be substituted as per following**

Any person aggrieved by an order of the following officers for a particular action under these rules may prefer an appeal in prescribed form to the following concerned officer within thirty (30) days from the date of communication of the order.

| Sl No. | Officer passing an Order | Appellate Authority |
|---|---|---|
| 1. | Deputy Commissioner | Mines Commissioner |
| 2. | Additional Director, Mines | Director, Mines |
| 3. | Deputy Director, Mines | Additional Director, Mines |
| 4. | District Mining Officer | Concerned Deputy Director, Mines |
| 5. | Assistant Mining Officer | Concerned District Mining Officer/ Deputy Director, Mines/Additional Director, Mines |
| 6. | Sub Divisional Magistrate/Circle Officer/Any other officer authorized by the Collector/Deputy Commissioner | Deputy Commissioner |
| 7. | Mining Inspector | Concerned District Mining Officer/ Deputy Director, Mines/Additional Director, Mines |
| 8. | In-charge Check Gate | Concerned District Mining Officer |

**23. After Rule 14(iii), Rule 14(iv) shall be inserted as per following**

"The concerned appellate authority may invoke, modify or set aside the order passed by the officer as defined above."

**24. After Rule 15(iii), Rule 15(iv) shall be inserted as per following**

"The Mines Commissioner may invoke, modify or set aside the order passed by the Deputy Commissioner."

**25. In Rules15(i) and Rule 15(ii), the word "revision/appeal" shall be substituted with the word "revision".**

By the Order of Governor,

**Sd/-**

Secretary to the Government
Department of Mines and Geology

**--------**

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 198-- 50.

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 197 राँची, सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 (ई०)

## खान एवं भूतत्व विभाग

--------

अधिसूचना

23 अप्रैल, 2026

**संचिका संख्या-ख0नि0(नीति)-05/2022-1021--**खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा-15 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन करते हुए निम्न संशोधन नियमावली प्रतिपादित करते हैं:-

**1. लघु शीर्ष विस्तार तथा प्रारम्भणः-**

(1) इन नियमों को "झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026" कहा जाएगा।

(2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

**2. नियम-2(क)(4)(अ), 2(क)(4)(आ), 2(क)(5), 2(क)(14) 2(क)(19), 2(क)(27), 12(2), 12(3), 12(4), नियम-29(1)(ख) में उल्लेखित अनुसूची-2(क) का क्रम संख्या-1, 7, 11 एवं 14, तथा नियम-20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 67 एवं "मॉडल प्रपत्र-सी, जे, के तथा प्रपत्र-ओ, पी, क्यू" को विलोपित किया जाता है।**

**3. नियम-2(क)(11) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

'' सक्षम पदाधिकारी अथवा कर निर्धारण पदाधिकारी का अर्थ है तथा इसमें शामिल है, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, उप निदेशक, खान, जिला के उपायुक्त, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी।"

**4. नियम-2(क)(30), नियम-34(A)(3), नियम-34(B)(1), नियम-34(D)(1) एवं नियम-34(E)(1) में "राज्य सरकार" के स्थान पर "निदेशक, खान" को प्रतिस्थापित किया जाता है।**

**5. नियम-6 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

"अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा स्वीकृत/नवीकृत किया जा सकता है-

(1) राज्य में कोई भी व्यक्ति लघु खनिज का एक अथवा एक से अधिक खनिज समनुदान प्रदान नहीं किया जायेगा-

(क) एक या एक से अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का कुल व्याप्त क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर से ज्यादा के लिए।

(ख) एक या एक से अधिक खनन पट्टा का कुल व्याप्त क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर से ज्यादा के लिए।

(ग) एक या एक से अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा का कुल व्याप्त क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से ज्यादा के लिए।

बशर्ते कि राज्य सरकार का यह विचार हो कि खनिज के विकास की दृष्टि से ऐसा करना आवष्यक है, राज्य सरकार उपर्युक्त अधिकतम सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए कारण को अंकित करते हुए किसी व्यक्ति को एक या एकाधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति -सह- खनन पट्टा के लिए अनुमति दे सकती है।

(घ) किसी क्षेत्र में कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति -सह- खनन पट्टा, जो संहत भुखण्ड ना हो।

बशर्तेकि राज्य सरकार का यह विचार हो कि खनिज के विकास की दृष्टि से ऐसा करना आवष्यक है, राज्य सरकार कारण को अंकित करते हुए, किसी क्षेत्र के लिए जो संहत भुखण्ड ना हो, किसी व्यक्ति को एक या एकाधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति -सह- खनन पट्टा के लिए अनुमति दे सकती है।

(2) उप नियम-(1) में उल्लिखित कुल क्षेत्रफल निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा सहकारी समिति, कंपनी या अन्य निगम का सदस्य, हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य या फर्म के भागीदार के रूप में किसी खनिज खनिज समनुदान के तहत रखा गया क्षेत्रफल, उप नियम-(1) में उल्लिखित क्षेत्रफल से घटा दिया जाएगा ताकि ऐसे व्यक्ति द्वारा, चाहे वह सदस्य या भागीदार के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप से, किसी भी स्थिति में खनिज समनुदान के तहत रखे गए क्षेत्र का कुल योग उप नियम-(1) में निर्दिष्ट कुल क्षेत्रफल से अधिक न हो सके।"

**6. नियम-7 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

''वह अवधि जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टा स्वीकृत/नवीकृत किया जाएगा

1. अनुसूची-2 में अंकित खनिजों का खनन पट्टा अधिकतम 10वर्षो के लिए तथा अनुसूची-2(क) में अंकित खनिज का खनन पट्टा न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किए जायेंगें।

परन्तु कि अनुसूची-2 में अंकित ग्रेनाईट, मार्बल, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर का खनन पट्टा अधिकतम 30वर्षो के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

2. लघु खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तीन वर्षों से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि निदेशक, खान संतुष्ट हों कि पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिक समय की आवश्यकता है तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण निदेशक, खान द्वारा किया जाएगा। किसी भी मामले में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की कुल अवधि पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी।'

**7. अध्याय-3 (खनन पट्टा स्वीकृत करना) को "अध्याय-3 (पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह- खनन पट्टा एवं खनन पट्टा स्वीकृत करना)" से प्रतिस्थापित किया जाता है।**

**8. नियम-9 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

**नियम-9(क) खनन पट्टा के लिए आवेदन**

"(1) रैयती भूमि के 03 (तीन) हेक्टेयर क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम, मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति आवेदन के माध्यम से की जाएगी।

(2) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम पदाधिकारी को प्रपत्र-ए में दिया जाएगा। प्रपत्र-ए सक्षम पदाधिकारी को संबोधित होगा।

(3) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न होंगे:-

(क) आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का तीन फोटोग्राफ।

(ख) आवेदक के वर्तमान एवं स्थायी पता की सम्पुष्टी के संबंध में दस्तावेज।

(4) प्रत्येक आवेदन के साथ पचीस हजार रूपये 25000/-आवेदन शुल्क के रूप में तथा जिस भूमि में खनन पट्टा के लिए आवेदन किया जाना है, उसका विस्तृत ब्योरा और जहाँ आवश्यकता हो, खतियान के आवश्यकअंश की अभिप्रमाणित प्रति या प्रतियाँ संलग्न की जाएगी।

(5) खनन पट्टा के प्रत्येक आवेदन के साथ झारखण्ड राज्य में सभी खनिज रियायतों के विषय में गत वित्तीय वर्ष का स्वामिस्व अथवा नियत लगान तथा सतह लगान जैसे खनन बकाए का भुगतान किए जाने से संबंधित वैध स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(6) प्रत्येक आवेदन में एक शपथ पत्र इस कथन के साथ संलग्न करना होगा कि आवेदक ने-

(क) अद्यतन आयकर रिर्टन जमा किया है।

(ख) आवेदन पर लगने वाला आय कर चुका दिया गया है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 यथा संशोधित के तहत व्यक्तिगत कर निर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया गया है।

(7) प्रत्येक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र संलग्नक होगा जिसमें उस राज्य में आवेदक अथवा उसके साथ संयुक्त रूप से कोई अन्य व्यक्ति के साथ खनिजवार या क्षेत्र का ब्योरा देगा कि-

(क) वह पूर्व से एक खनन पट्टा धारक है।

(ख) उसने आवेदन दिया है कि किन्तु अभी तक खनन पट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है तथा

(ग) साथ-साथ आवेदन किया जा रहा है।

(8) प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित रूप से यह बयान देना होगा की आवेदक ने यदि भूमि का स्वामित्व उसका नहीं है तो उस क्षेत्र के सतह का अधिकार प्राप्त कर लिया है, अथवा खनन कार्य करने के लिए स्वामियों की सहमति प्राप्त कर ली है।

(9) यदि खनन पट्टे के लिए दिए गए आवेदन के साथ कागजात संलग्न नहीं किए गए हैं तो सक्षम पदाधिकारी आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन अस्वीकृत करते हुए इसकी सूचना आवेदनकर्ता को देंगें।

(10) इस नियमावली के नियमों को आवश्यकतानुसार विभागीय ऑनलाइन पोर्टल झारखण्ड एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली (Jharkhand Integrated Mines and Minerals Management System) के माध्यम से लागू किये जाने का प्रावधान निदेशक, खान के द्वारा किया जा सकेगा।

**नियम-9(ख):-** नियम-9(क) में उल्लेखित क्षेत्र एवं खनिज के अतिरिक्त लघु खनिज का खनन पट्टा झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा।

**नियम-9(ग):-** इस नियमावली के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ प्रपत्र/MDPA आदि तथा खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के उपस्थापन की प्रक्रिया एवं समय सीमा का निर्धारण संबंधी निदेश, यदि इस नियमावली में विहित न हो तो, निदेशक, खान के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।"

**9. नियम-10में "स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी अथवा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी" को "सक्षम पदाधिकारी" से प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

**10. नियम-11 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

"नियम-(11) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा/खनन पट्टा की स्वीकृति अथवा खनन पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन का निपटारा-

(1)(क) रैयती भूमि के 03 (तीन) हेक्टेयर क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम, मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा की जायेगी।

(ख) खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए दाखिल प्रत्येक आवेदन के लिए उसकी प्राप्ति की तारीख के 120 दिनों के भीतर आशय का पत्र उपायुक्त द्वारा निर्गत किया जायेगा। आशय का पत्र की वैधता निर्गत किये जाने की तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी।

परन्तु कि 01 वर्ष की अवधि के पश्चातआशय का पत्र की वैधता प्रत्येक वर्ष अथवा अंष के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के समतुल्य राषि का भुगतान करने पर स्वतः अवधि विस्तारित मान्य होगा।

(ग) खनन पट्टा के प्रत्येक आवेदन पर निर्णय (स्वीकृत/अस्वीकृत) उपायुक्त द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर लिया जायेगा। उक्त 30 दिनों के अवधि के पश्चात आवेदन खान निदेशालय को अग्रसारित किया जाएगा, जिसपर 30 दिनों के भीतर निदेशक, खान के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(घ) खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए दाखिल आवेदन पत्र पर 120 दिनों के अन्दर आशय का पत्र (एलओआई) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः कालतिरोहित होकर अस्वीकृत माना जाएगा। जिसकी सूचना आवेदक को आवेदन प्राप्तकर्ता द्वारा कालतिरोहित होने के पश्चात निर्गत किया जायेगा। उक्त 120 दिनों की अवधि के पश्चात आवेदनकर्ता खनन पट्टा हेतु पुनः आवेदन समर्पित कर सकेगा।

परन्तु यह कि अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टा के स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा"।

(2) रैयती भूमि के 03 (तीन) हेक्टेयर क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम, मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा एवं बालू खनिज छोड़कर अन्य सभी लघु खनिजों के लिए किसी क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति -सह-खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 यथा संशोधित में निरूपित प्रावधानों के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु कि अधिसूचना संख्या-1653/एम0, रांची, दिनांक-06 सितम्बर, 2016 के द्वारा अधिसूचित 31 (इक्तीस) खनिजों (बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक एवं क्वार्टज को छोड़कर) एवं, ग्रेनाईट पत्थर खनिज, मार्बल, बलूआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर आदि के मामले में नीलामी से पूर्व खनिज की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जाँच कर ब्लॉक चिन्हित करने का कार्य भूतत्व निदेशालय, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अन्वेषण प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा।

परन्तु कि सामुदायिक सम्पति यथा पुल, सड़क, तालाब, नदी, भवन, धार्मिक स्थल, श्मशान घाट, पहाड़ आदि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्थापित माप-दण्डों के अनुरूप सुरक्षा प्रक्षेत्र चिन्हित करना होगा, जिसमें खनिजों का खनन कार्य नहीं होगा।

(3) ग्रेनाईट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनन पट्टों की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य लघु खनिज नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान द्वारा किया जाएगा।

परन्तु ग्रेनाईट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा की स्वीकृति एवं संरक्षण तथा विकास The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। ग्रेनाईट खनिज के खनन पट्टा के न्यूनतम अवधि भी The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(4) अधिसूचना संख्या-1653/एम0, दिनांक-06 सितम्बर, 2016 के द्वारा अधिसूचित वैसे 31 लघु खनिज (बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक एवं क्वार्टज को छोड़कर) जिन पर पूर्व के वृहत खनिज के रूप में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था एवं जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संषोधन अधिनियम, 2015 की धारा-10A(2)(b) के तहत सुरक्षित थे, पर खनन पट्टा की स्वीकृति इस नियमावली में भी सुरक्षित मानते हुए खनन पट्टा निष्पादन की कार्रवाई की जा सकेगी। परन्तु कि वैसे लघु खनिज जो पुनः खान मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र संख्या-916, दिनांक-20.02.2025 द्वारा वृहत खनिज घोषित है, के मामलों में स्वीकृति खनिज समनुदान नियमावली, 2016 यथा संषोधित में सुरक्षित मानते हुए की जाएगी।

(5) केन्द्रीय एवं राज्य लोक उपक्रम तथा राज्य सरकार के कार्य विभाग अन्तर्गत सड़क, पुल, इत्यादि विकास एवं निर्माण कार्य के लिए खनन पट्टों के स्वीकृति/नवीकरण के मामलों में राज्य सरकार खनन पट्टा नियमानुसार स्वीकृत कर सकती है।"

**11. नियम-12(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-**

"झारखण्ड राज्य में बालू का उठाव एवं प्रेषण The Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के अनुसार किया जाएगा।"

**12. नियम-22(5) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

'' यदि पट्टाधारी नियम-29 के तहत लगान/स्वामिस्व का भुगतान समय पर नहीं करें अथवा इन नियमों या प्रपत्र 'ई' या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के मामले मे समकक्ष प्रपत्र के उल्लेखित किन्हीं शर्तो का उल्लंघन करता है तो सक्षम पदाधिकारी इस सूचना को पाने के 30 दिनों के भीतर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी को लगान/स्वामिस्व के भुगतान कर देने या शर्तोके अनुपालन हेतु नोटिस देगा और यदि लगान/स्वामिस्व का भुगतान अथवा नोटिस में अंकित शर्तोका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उपायुक्त/स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी नियम-27(2) के तहत कार्रवाई कर सकेगें।"

**13. नियम-23(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-**

"रैयती भूमि के तीन हेक्टेयर क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम एवं मिट्टी लघु खनिज के स्वीकृत खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन पट्टा के समाप्त होने के पहले कम से कम 90 दिन पूर्व किन्तु 180 दिन से पहले नहीं, प्रपत्र-'एफ' में दिया जा सकेगा।"

**14. नियम-23(2)(च) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-**

"यदि आवेदन का निपटारा उप नियम 2(ड़) में उल्लिखित बढ़ी हुई अवधि में भी नहीं किया जा सका तो आवेदन का निस्तार उप नियम 2(ड़) में उल्लिखित बढ़ी हुई अवधि के पष्चात् निदेषक, खान के द्वारा 90 दिनों के भीतर किया जा सकेगा।"

**15. नियम-23(2)(क) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

"नियम-23(2)(क)-25000/-(पच्चीस हजार) रूपये का आवेदन शुल्क।"

**16. नियम-27(2) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

"उप नियम-1 में उल्लेखित के अतिरिक्त यदि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी/खनन पट्टाधारी द्वारा लगान/स्वामिस्व का भुगतान हेतु तथा किन्हीं शर्तोका उल्लंघन के बावत निर्गत किये गये नोटिस का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उपायुक्त/स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा को समाप्त कर सकते है।"

**17. नियम-27 के पश्चात नियम-27(A) निम्नवत जोड़ा जाता हैः-**

"खनन पट्टा के पट्टा अवधि की समाप्ति/परिसमाप्ति के पश्चातपट्टा अवधि अन्तर्गत उत्तखनित या प्रसंसकृत खनिज को सभी देय स्वामिस्व/शुल्को के भुगतान के उपरान्त 60 दिनों के भीतर हटा लिया जाएगा। इस संदर्भ में पट्टा समाप्ति के 01 सप्ताह के भीतर JIMMS में एक अस्थायी आईडी का सृजन किया जाएगा।

उक्त 60 दिनों की अवधि खनिज के प्रेषण हेतु अस्थायी आईडी के माध्यम से निर्गत किया जाने वाला परमिट हेतु मान्य होगा।"

**18. नियम-28(2) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

'' यदि इस नियमावली के तहत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा के प्रारम्भ होने की तिथि संबंधित पट्टा/अनुज्ञप्ति संविद के निबंधन की तिथि होगी।"

**19. नियम-28(3) के पश्चात28(4) निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-**

''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा संविद पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-299 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्यपाल की ओर से उपायुक्त हस्ताक्षर करेंगें।"

**20. नियम-29(1)(ग) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

नियम-29(1)(ग)-"लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा Jharkhand District Mineral Foundation (Trust) Rules, 2024 के प्रावधानों के तहत देय राशि का भुगतान करना होगा।

**21. नियम-29(घ) के पष्चात परन्तु को निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-**

'' परन्तु कि भू-राजस्व की दर का तात्पर्य है राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए निर्गत व्यवसायिक दर का न्यूनतम दर।"

**22. नियम-31(1) में "सक्षम अधिकारी" को "सक्षम पदाधिकारी" से प्रतिस्थापित किया जाता है।**

**23. नियम-34(E)(1) के पश्चात परन्तुक को निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-**

"परन्तु की खनन योजना/खनन स्कीम/खान बंदी योजना तैयार एवं अनुमोदन करने हेतु समय-समय पर अवश्यक दिशा-निर्देश खान निदेशालय द्वारा जारी किया जायेगा।"

**24. नियम-34(B) के उप नियम-(2) में "1000.00 (एक हजार रूपये)" के स्थान पर "50000.00 (पचास हजार रूपये)" को अन्तःस्थापित किया जाता है।**

**25. नियम-34(B) के उप नियम-(3) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

''उपरोक्त उप नियम (2) के अधीन मान्यता प्राप्त आवेदक को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए निबंधित किया जाएगा तथा उसके उपरान्त आवेदन करने पर यथा लागू शुल्क के भुगतान के उपरान्त कार्यों की समीक्षा कर निबंधन नवीकृत किया जा सकेगा। निबंधित अवधि में विभागीय दिशा-निर्देश के प्रतिकूल कार्य पाये जाने पर निदेषक, खान द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निबंधन रद्द किया जा सकेगा।"

**26. नियम-41(6) के पश्चात नियम-41(7) को निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-**

''नियम-41(7) कर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा स्वामिस्व के निर्धारण हेतु मूल्यांकन के बावत मार्गदर्शन के संदर्भ में दिशा-निर्देश निदेशक, खान द्वारा निर्गत किया जायेगा।"

**27. नियम-46 के पश्चात परन्तुक को निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-**

''परन्तु कि खनन पट्टा की पट्टा अवधि के समाप्ति के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा जिला राजपत्र में पुनः खनन समनुदान कार्य किये जाने के आशय की सूचना प्रकाशित की जायेगी।"

**28. नियम-48 (1) एवं 48(2) में "प्रपत्र 'एम"' को**The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 यथा संशोधित के तहत परिवहन चालान निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र-'डी"' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

**29. नियम-48(3) में प्रपत्र-"के" को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017के तहत मासिक विवरणी दाखिल किये जाने हेतु प्रपत्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।**

**30. नियम-54 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-**

"कोई व्यक्ति अथवा उसकी ओर से एजेन्ट, मैनेजर, कर्मचारी अथवा ठेकेदार किसी क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन समानुदान या अनुज्ञप्ति या अन्य किसी अनुमति के बिना खनिज का उत्खनन/निकासी या खनन संक्रियाएँ करता है या किसी खनिज का भंडारण अथवा परिवहन बिना वैध अनुज्ञप्ति/चालान के करता है या खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से करता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अवैध उत्तखनन/भंडारण/परिवहन में भागीदार समझा जाएगा एवं उक्त उल्लंघन अधिनियम की धारा-21(2) के तहत दण्डनीय होगा।

**31. नियम-54(A) में परन्तुक को निम्नवत जोड़ा जाता हैः-**

"परन्तु कि लोक निर्माण कार्य के दौरान खनन पट्टा/अनुज्ञापत्र के अन्यथा उत्तखनित लघु खनिज का निस्तार उपरोक्त नीलामी की प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

परन्तु कि लोक निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लघु खनिज खनन पट्टा/अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत उत्खनित वृहत खनिज का निस्तार खान निदेषालय द्वारा निर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।"

**32. नियम-65(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-**

"सक्षम पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में पारित किसी आदेश से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह उस आदेशके 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के निम्नवत अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील कर सकता हैः-

| **क्र0** | **सक्षम पदाधिकारी** | **अपीलीय पदाधिकारी** |
|---|---|---|
| 1. | अपर निदेशक, खान | निदेशक, खान |
| 2. | उप निदेशक, खान | अपर निदेशक, खान |
| 3. | जिला खनन पदाधिकारी | संबंधित उप निदेशक, खान |
| 4. | सहायक खनन पदाधिकारी | संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/उप निदेशक, खान/अपर निदेशक, खान |

परन्तु कि सक्षम पदाधिकारी के 01 से अधिक पदों पर पदस्थापित होने पर उच्चतर पद के अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील दायर किया जाएगा।"

**33. नियम-65(2) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-**

''प्रत्येक अपील के लिए 1000/-(एक हजार) रूपये का शुल्क का भुगतान करना होगा। अपील के ज्ञापन के साथ JIMMS पोर्टल द्वारा शुल्क के भुगतान के पश्चात निर्गत रसीद संलग्न करना होगा।"

**34. नियम-66 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

''नियम-66-खनिजों के मूल्य निर्धारण की विधिः-निदेशक, खान द्वारा किसी भी लघु खनिज का मूल्य निर्धारण किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में किसी मामले में मूल्य निर्धारण हेतु उपायुक्त को भी प्राधिकृत किया जा सकेगा।"

**35. नियम-70 के बाद अध्याय-10 निम्नवत जोड़ा जाता हैः-**

**(अध्याय-10)**

**<u>सरकारी कंपनी अथवा निगम द्वारा धारित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा का अवधि विस्तार</u>**

"नियम-71(1) सरकारी कम्पनी अथवा निगम को स्वीकृत लघु खनिज पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा का अवधि विस्तार निदेशक, खान के द्वारा किया जाएगा।"

(2) अवधि विस्तार हेतु आवेदन प्रपत्र-A में खनन पट्टा समाप्ति के 90 दिनों के पूर्व खान निदेशालय को समर्पित किया जाएगा।

(3) नियमावली की अनुसूची-2 के लिए खनन पट्टा का अवधि विस्तार अधिकतम 10 वर्षों के लिए तथा अनुसूची-2(क) के लिए खनन पट्टा का अवधि विस्तार अधिकतम 20 वर्षों के लिए किया जाएगा।

परन्तु कि मार्बल, सैंडस्टोन, सजावटी पत्थर तथा ग्रेनाईट के मामले में संबंधित नियमावली प्रभावी होंगे।

(4) खनन पट्टा संविद का निष्पादन उपायुक्त द्वारा अवधि विस्तार के आदेश के अनुसार नियमावली में पट्टा संविद के निष्पादन हेतु विहित अवधि में किया जाएगा।

(5) इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व में नवीकरण/अवधि विस्तार हेतु समर्पित सभी आवेदन उप नियम-1 के तहत निष्पादित किया जाएगा। बशर्ते कि अधिसूचना की तिथि के पूर्व खनन पट्टा के अस्वीकृति/रद्द/व्ययगत होने का आदेश पारित नहीं किया गया है।

(6) सरकारी कम्पनी अथवा निगम द्वारा खनन पट्टा के विस्तारित अवधि में नियमावली के तहत भुगतेय स्वामिस्व तथा अन्य शुल्कों के अतिरिक्त स्वामिस्व के समतुल्य राशि का भुगतान अतिरिक्त राशि के तौर पर किया जाएगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरवा राजकमल,**

सरकार के सचिव

----------

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 197 - 50